न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 318/2023 निर्णय दिनांक :–08.07.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

महावीर पुत्र हरचन्द जाति महाजन उम्र बालिग निवासी निवारिया हाल निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा राज0।

– प्रार्थी –

बनाम

1. तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. मोहन पुत्र चन्द्रा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी मुण्डियाखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज0

– अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2
तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 382 खसरा नम्बर 764 रकबा 2.60 है0 वाके ग्राम मुण्डियाखुर्द पटवार हल्का पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोक राज0 मे स्थित है। यह कि राजस्व रिकार्ड मे आराजी खसरा नम्बर 761 रकबा 0.28 है0 गै0मु0 रास्ता एवं खसरा नम्बर 841 रकबा 0.25 है0 अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी मे दर्ज है। यह कि प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 761 से अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 841 में से होकर आता जाता रहा है तथा उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाता

Scanned with OKEN Scanner

ले जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत मे जाने का अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नहीं है। यह कि राजस्व रिकार्ड में आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा अपनी भूमि को काश्त नहीं कर पा रहा है। यह कि प्रार्थी को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 761 से अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 841 में से होकर 15 फीट चोड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। यह कि प्रार्थी नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशी जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ0धारा 251ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 382 खसरा नम्बर 764 रकबा 2.60 है0 वाके ग्राम मुण्डियाखुर्द पटवार हल्का पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोक राज0 पर आने जाने के लिये गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 761 से अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 841 में से होकर 15 फीट चोड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 2 उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो इस प्रकार हैः—मुझ प्रार्थी मोहन लाल मीणा पुत्र चन्दा राम मीणा के आराजी ख. नं. 841 में से पास के खेते ख. नं. 764 में मझ प्रार्थी की भूमि में से रास्ते दिये जाने का प्रकरण संख्या 251 ए प्रार्थना पत्र संख्या 318 सन् 2023 के तहत मांगा गया था जिसमें मुझ प्रार्थी की पूर्ण सहमति है लेकिन मुझ प्रार्थी द्वारा उन्हे रास्ता पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढते हुए क्रम में लगभग 70 फीट बाद में रास्ता देने मे मुझे कोई आपति एतराज नहीं है और उक्त जगह रास्ता देने से मेरी पशुओ का बाड़ा जिसमें उनकी रोडी, छाया की व्यवस्था चारे की व्यवस्था व पेड़ पौधे आदि बने रहे।

Scanned with OKEN Scanner

इसलिएं में 70 फीट बाद में बाड़े के बीच में से रास्ता देने में सहमत हुं। इसमें मुझे कोई आपति नही है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी की कहभूमि में से 7.0 फीट दूर पश्चिम की ओर रास्ता देकर मुझे राहत दी जाये।

अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जिसके तथ्य इस प्रकार हैः–प्रार्थी को आराजी में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 770 रकबा 0.08 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता सिवायचक रिकार्ड दर्ज है किन्तु इस रास्ते की निकासी आबादी भूमि के खसरा नम्बर 766 में स्थित सकरी गली में होता है जहा से ट्रेक्टर व कृषि यन्त्रों का आवागमन नही होता है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लघूतम दूरी का रास्ता ही प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया प्रस्तावित रास्ता रिकार्डेड रास्ता खसरा नम्बर 761 से जुडा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 05 मीटर व लम्बाई 5.10 मीटर कुल रकबा 0. 0025 है0 (25.50वर्गमीटर) है। प्रस्तावित चाहे जाने वाले रास्ते की डी0एल0सी0 दर 2033419 प्रति हैक्ट0 है जिसका कुल क्षेत्रफल 0.002550 की एक गुणा राशि 5185 रुपये व दुगनी राशि 10370 है। आवेदक की आराजी खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी ख. नं.841 मे से रास्ता चाहता है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई दीवार, संरचना, पेड़ इत्यादि नहीं है। अप्रार्थी सूचना के बावजूद मौके पर उपस्थित नही रहा है। प्रस्तावित रास्ता अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। अप्रार्थी रास्तो देने हेतु सहमत है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 2 दोराने बहस अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

तहसीलदार देवली ने रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन में प्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि ख. नं. 841 ग्राम मुण्डियाखुर्द में पूर्व से पश्चिम की ओर बढते हुए 70 फीट बाद रास्ता देने में कोई आपति नहीं है। क्योकि 70 फीट के अन्दर पशुओ का बाड़ा, जिसमें रोड़ी छाया की व्यवस्था व पेड़ पौधे बने रहें।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में यह कथन किया कि उक्त 70 फीट बाद से रास्ता दिया जाता है तो लड़ाई–झगड़े की संभावना बहुत ज्यादा है और साथ ही यह रास्ता लम्बा भी पड़ता है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते से ही रास्ता दिया जावे।

उक्त आपतियों को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार देवली को पत्रांक 511 दिनांक 03.06.2024 से उक्त आपतियों के निराकरण करने के लिए पत्र लिखा जिसमें निम्न बिन्दूओ पर रिपोर्ट चाही गई :–

आप मौके पर जाकर यह जांच करे कि क्या ख. नं. 841 सम्पूर्ण पर अप्रार्थी संख्या 2 मोहन पुत्र चन्द्रा जाति मीणा का कब्जा है ? ख. नं. 841 में पूर्व से पश्चिम की ओर बढते हुए 70 फीट तक की भूमि अप्रार्थी संख्या मोहन पुत्र चन्द्रा जाति मीणा के कब्जे में है और इसमें रोड़ी, छाया पेड़ आदि है ? ख. नं. 841 में पूर्व से पश्चिम की ओर 70 फीट बाद में किसी अन्य का कब्जा है ? उक्त प्रश्नगत बिन्दूओ का ध्यान रखते हुए पुनः मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार कर, आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.06.24 से पूर्व प्रेषित करने की सुनिश्चितता करे ताकि प्रकरण का निस्तारण हो सके।

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार देवली से पत्रांक 808 दिनांक 25.06.24 से रिपोर्ट प्राप्त जो इस प्रकार है:- ख0न0 841 रकबा 0.24 है0 पर खातेदार मोहन पुत्र चन्द्रा जाति मीणा का कब्जा काश्त संपूर्ण रकबे पर नहीं है। ख0न0 841 में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए लगभग 40 मी. दूरी तक खातेदार मोहन पुत्र चन्द्रा मीणा का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त भूमि पर रंगलाल पुत्र जमना मीणा द्वारा एक चददर पोश बसेरा (चारागृह) व बाड़ा बनाकर तथा गल्लाराम पिता भूरा मीणा ने बाड़ा बनाकर कब्जा कर रखा है। उक्त कब्जे के अलावा शेष भूमि पर खातेदार मोहन पुत्र चन्दा मीणा का कब्जा है जिसमें से मौके पर खेतों में जाने का प्रचलित रास्ता मौके पर चालू है। इस प्रकरण में पूर्व में प्रस्तावित रास्ते का प्रस्ताव ख0न0 841 में सबसे कम दूरी, सबसे क़म रकबा का प्रस्ताव है इसमें खेत के दो टुकड़े भी नहीं हो रहे है। अतः पूर्व में प्रस्तावित प्रस्ताव उचित है। अत मौका रिपोर्ट संलग्न कर श्रीमान जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली पर पुनः बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने पूर्व अनुसार ही तथ्यो का दोहरान किया तथा 5 मीटर चौड़ाई के स्थान पर 4 मीटर चौड़ाई के रास्ते हेतु प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजी ख. नं. 764 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 770 रकबा 0.08 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता सिवायचक रिकार्ड दर्ज है किन्तु इस रास्ते की निकासी आबादी भूमि के खसरा नम्बर 766 में स्थित सकरी गली में होता है जहा से ट्रेक्टर व कृषि यन्त्रों का आवागमन नही होता है। अतः तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार इस रास्ते को वैकल्पिक रास्ता नहीं माना जा सकता है।

प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के संदर्भ में तहसीलदार देवली से रिपोर्ट 25.06.2024 अनुसार प्रतिवादी का दिया गया सुझाव निराधार है। तहसीलदार द्वारा पूर्व प्रस्तावित रिपोर्ट को ही सबसे कम दूरी व सबसे कम रकबा का बताया है।

अतः उक्त विवेचनानुसार ख. नं. 764 वाके ग्राम मुण्डिया खुर्द प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार नही बताया है। प्रस्तावित भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं बताई है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 764 वाके तनग्राम मुण्डियाखुर्द में जाने के लिए गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 761 से अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी भूमि ख. नं. 841 मे से होकर 15 फीट चोडा रास्ते की प्रार्थना की है। तहसीलदार देवली द्वारा भी प्रा. पत्र अनुसार रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट दिनांक 01. 01.02.24 व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार ग्राम मुण्डियाखुर्द के ख. नं. 761 से शुरू खसरा नम्बर 841 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 4 मीटर चौडाई व 5.10 मीटर लम्बाई कुल क्षैत्रफल 20.40 वर्ग मीटर के लिए डी. एल. सी दर 2033419/– प्रति है0 के अनुसार क्षैत्रफल 20.40 वगै मी. के लिए एक गुना राशि 4148/– रूपय व दुगनी राशि 8296/–रूपये प्रतिकर राशि जमा कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ता सिवायचक के रूप में अमल दरामद करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner